



छत्तीसगढ़ भू—संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :— 0771—4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in

Website:-<https://rera.cgstate.gov.in>

क्रमांक / 08 / रेरा / 2018 / 231

रायपुर, दिनांक 11 / 05 / 2018

//परिपत्र//

विषय :— रेरा विनिर्दिष्ट पृथक बैंक खाता के बिना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश बाबत्।

-----00-----

भू—संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4(2) (l) (d) के अनुसार प्रमोटर को प्रत्येक प्रोजेक्ट हेतु एक रेरा विनिर्दिष्ट पृथक बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। विभिन्न माध्यमों से छत्तीसगढ़ भू—संपदा विनियामक प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आए हैं कि रेरा विनिर्दिष्ट पृथक बैंक खाता खोलने में तकनीकी कारणों से बैंकों द्वारा सप्ताह से दस दिनों तक का समय लिया जा रहा है, अतः रेरा विनिर्दिष्ट पृथक बैंक खाता नंबर के अभाव में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु कुछ प्रमोटर्स को कठिनाई हो रही है।

चूँकि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31 मई, 2018 तक की समय—सीमा नियत की गई है, ऐसी स्थिति में रेरा विनिर्दिष्ट पृथक बैंक खाता नंबर के अभाव में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में बाधा न हो, इस दृष्टिकोण से भू—संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :—

1. प्रमोटर द्वारा प्रोजेक्ट हेतु रेरा विनिर्दिष्ट पृथक बैंक खाता नंबर के बिना भी प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।
2. ऐसी दशा में प्रमोटर को Annexure-21 में इस आशय का वचन—पत्र (Under-taking) प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा प्रोजेक्ट विशेष के लिए रेरा विनिर्दिष्ट पृथक बैंक खाता खोलने हेतु संबंधित बैंक को आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है तथा उनके द्वारा अधिकतम 15 दिवस की अवधि के भीतर उक्त रेरा विनिर्दिष्ट पृथक बैंक खाता नंबर प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
3. प्रमोटर को जब तक प्रोजेक्ट का रेरा विनिर्दिष्ट पृथक बैंक खाता नंबर प्राप्त नहीं होता है और प्रमोटर द्वारा इस रेरा विनिर्दिष्ट पृथक बैंक खाता नंबर की जानकारी प्राधिकरण को प्रदान नहीं कर दी जाती है, तब तक प्रमोटर द्वारा संबंधित प्रोजेक्ट के लिए कोई राशि आबंटिति से प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

- आवेदन के साथ रेरा विनिर्दिष्ट पृथक बैंक खाता नंबर की जानकारी प्रस्तुत न कर 15 दिवस की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों में प्राधिकरण के परिपत्र क्रमांक 03 दिनांक 28.03.2018 के बिन्दु क्रमांक-09 में वर्णित विलंब शुल्क संबंधित प्रमोटर द्वारा देय होगा।
- प्रमोटर द्वारा रेरा विनिर्दिष्ट पृथक बैंक खाता नंबर की जानकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराने की तिथि को ही प्रस्तुत आवेदन पूर्ण माना जावेगा तथा इसके पश्चात् ही प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

~~मान. अध्यक्ष~~
(अजय कुमार अग्रवाल)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.